

**बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग**

संकल्प

पत्रांक सं०-240/प०स०भ०-09-56/2020/५४४५/प०रा०पटना दिनांक ०३/०५/२०२३

विषय:- ₹41,71,16,00,000.00 (एकतालीस अरब एकहत्तर करोड़ सोलह लाख रुपये) मात्र की राशि की लागत से 2000 (दो हजार) पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

राज्य के सभी 8057 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन बनाने की राज्य सरकार की योजना है। पंचायत के क्रियाकलापों के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार कार्यालय भवन का होना आवश्यक है। इसके लिए पंचायत सरकार भवन का डिजाईन पूर्व में ही तैयार किया गया है। भवन में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए स्थान, ग्राम कचहरी के न्यायालय कक्ष, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान, स्टोर, पंचायत/स्थायी समितियों की बैठकों के लिए हॉल, नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष, महत्वपूर्ण कर्मियों के लिए आवासीय खण्ड, कम्प्यूटराईज्ड सेवा प्रदान करने के लिए सेवा केन्द्र, स्टोर, पैन्ट्री एवं शौचालय का प्रावधान किया गया है।

2. पंचायत सरकार भवन का उपयोग बहुउद्देशीय होगा। इसको उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त बाढ़ एवं आपदाओं में भी उपयोग किया जा सकेगा। पंचायत सरकार भवन दो-मंजिला है। सामान्य क्षेत्रों में कुल क्षेत्रफल 6598 Sqft का है तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 8924 Sqft का है। इससे पंचायतों को अपने कार्य संचालन में जन-सामान्य के प्रति उत्तरदायी बनने और कार्यकलापों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सुविधा होगी। यह सुशासन की संकल्पना के एकीकृत केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगा।

3. राज्य के सभी पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया जाना है। पूर्व में राज्य की 8057 ग्राम पंचायतों में से अब तक 2316 पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसी क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष में षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा एवं राज्य योजना मद की राशि से 2000 (दो हजार) पंचायत सरकार भवन बनाने का प्रस्ताव है। प्रति पंचायत सरकार भवन सामान्य क्षेत्रों की प्राक्कलित राशि ₹1,99,92,000.00 (एक करोड़ निन्यानवे लाख बानवे हजार रुपये) हैं तथा बाढ़

प्रभावित क्षेत्रों का प्रति पंचायत सरकार भवन ₹2,86,30,000.00 (दो करोड़ छियासी लाख तीस हजार रुपये) मात्र है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की 10 प्रतिशत भवन मानकर कुल— $200 \times 28630000 = ₹5,72,60,00,000.00$ (पाँच अरब बहत्तर करोड़ साठ लाख रुपये) मात्र एवं सामान्य क्षेत्रों का 90 प्रतिशत भवन मानकर कुल— $1800 \times 19992000 = ₹35,98,56,00,000.00$ (पैंतीस अरब अन्तानवे करोड़ छप्पन लाख रुपये) मात्र, इस प्रकार कुल— ₹41,71,16,00,000.00 (एकतालीस अरब एकहत्तर करोड़ सोलह लाख रुपये) मात्र की राशि व्यय होगी, जिसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि संभावित है।

4. **भूमि का चयन :** विभागीय पत्रांक 8354 दिनांक 30.08.2022 द्वारा पंचायत सरकार भवन के लिए भूमि चयन हेतु समेकित दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं अनुलग्नक-2 जिसके आधार पर जिला पदाधिकारियों द्वारा 2000 (दो हजार) पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए भूमि चयनित की गयी है, जिसकी विवरणी अनुलग्नक-1 में संलग्न है। जिला द्वारा लक्ष्यानुसार चिन्हित की गई भूमि पर चयनित पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जायेगा।

5. (i) **योजना के कार्यान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी :-** लोक वित्त समिति के दिनांक 17.04.2023 द्वारा इन शर्तों के साथ प्रस्ताव को अनुशंसित किया गया है।

(ii) “प्रत्येक योजना को एक स्वतंत्र इकाई मानकर अलग-अलग निविदा का प्रकाशन होगा। पूरे राज्य में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक ही कार्यकारी एजेंसी का चयन किया जायेगा, जो एजेंसी PWD कोड में निहित प्रावधानों के अनुसार निविदा का निस्तार करेगी।”

(iii) राज्य में शेष बचे पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए क्रियान्वयन एजेन्सी स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन योजना एवं विकास विभाग (LAEO) होगी।

(iv) निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी के कार्यपालक अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं तकनीकी पदाधिकारियों के द्वारा किया जायेगा। जिला पदाधिकारी द्वारा लक्ष्य के अनुसार योजना के चयन सूची भूमि की विवरणी के साथ चयनित विभाग/एजेंसी के संबंधित कार्यपालक अभियन्ता को उपलब्ध कराई जायेगी।



(v) जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को षष्ठम राज्य वित्त आयोग एवं राज्य योजना मद की राशि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु उपलब्ध कराई जायेगी, जिसे जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा CFMS के माध्यम से संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी को उपलब्ध कराया जायेगा। योजना की राशि संबंधित कार्यपालक अभियन्ता द्वारा पी0डी0/पी0एल0 एकाउन्ट में रखी जायेगी। प्राक्कलन की स्टेजवार भौतिक प्रगति होने पर मापी का प्रावधान होगा। मापी पुस्त में अंकित स्टेजवार किये गये कार्य के आधार पर ही अग्रेतर भुगतान होगा। मापी के स्टेज निम्नवत् होंगे:-

- a) मुख्य भवन के प्लिंथ लेवल तक कार्य पूर्ण होने के उपरान्त।
- b) मुख्य भवन के प्रथम तल तक कार्य पूर्ण होने के उपरान्त।
- c) मुख्य भवन के द्वितीय तल तक कार्य पूर्ण होने के उपरान्त।
- d) मुख्य भवन के फिनिशिंग कार्य (इलेक्ट्रिकफिकेशन सहित) पूर्ण होने के उपरान्त।
- e) CSC Block (फिनिशिंग/इलेक्ट्रिकफिकेशन सहित) पूर्ण होने के उपरान्त।
- f) Living Block (फिनिशिंग/इलेक्ट्रिकफिकेशन सहित) पूर्ण होने के उपरान्त।
- g) Block, PHE एवं अन्य सभी कार्य पूर्ण होने के उपरान्त (फिनिशिंग/इलेक्ट्रिकफिकेशन सहित)
- h) प्रत्येक माह योजना का प्रगति प्रतिवेदन पंचायत निश्चय सॉफ्ट पर ऑनलाईन विहित प्रपत्र में संबंधित कार्यपालक अभियन्ता द्वारा अपलोड किया जायेगा एवं इसके आधार पर ही पंचायती राज विभाग द्वारा इसका अनुश्रवण एवं राशि की विमुक्ति की जायेगी। पंचायत स्तर पर योजना का द्वितीय स्तर पर पर्यवेक्षण करने के लिए संबंधित पंचायत के तकनीकी सहायक एवं जिला गुणवत्ता नियंत्रक (DQM) अधिकृत होंगे।

6. इस योजना के कार्यान्वयन के अनुश्रवण हेतु निम्नरूपेण समिति गठित होगी :-

- (i) संबंधित जिला पदाधिकारी (अध्यक्ष)।



- (ii) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित जिला परिषद।
- (iii) जिला अभियन्ता – जिला परिषद।
- (iv) कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, बिहार।
- (v) जिला में पदस्थापित सभी जिला गुणवत्ता प्रबंधक (DQM)।
- (vi) जिला में कार्य कर रही क्रियान्वयन एजेन्सी के कार्यपालक अभियन्ता स्तर के पदाधिकारी – सदस्य।
- (vii) जिला पंचायत राज पदाधिकारी – सदस्य सचिव।

उक्त समिति पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निमित्त अन्तराल पर समीक्षा करेगी तथा कार्य में अवरोध दूर करने हेतु दिशा-निर्देश दे सकेगी।

7. राज्य स्तर पर समीक्षा :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग
2. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग
3. मुख्य अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन योजना एवं विकास विभाग
4. संबंधित कार्यान्वयन एजेन्सी के महानिदेशक (MD)/प्रमुख अभियन्ता
5. माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग द्वारा नामित सदस्य पंचायती राज विभाग के उप-सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी
यह समिति राज्य स्तर पर मासिक समीक्षा कर उसकी प्रगति हेतु दिशा-निर्देश दे सकेगी।

8. बजट शीर्ष :

षष्ठम राज्य वित्त आयोग:-

- (i) मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम- उपमुख्यशीर्ष- 00-लघुशीर्ष-196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को

सहायता उपशीर्ष-0007-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान। विषय शीर्ष 3105-सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण। विपत्र कोड 16-2515001960007 है।

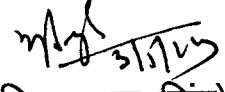
- (ii) 'मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम- उपमुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतो/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष-0004-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों का अंशदान। विषय शीर्ष 3105-सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण। विपत्र कोड 16-2515001970004 है।
- (iii) 'मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम- उपमुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष-0009-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान। विषय शीर्ष 3105-सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण। विपत्र कोड 16-2515001980009 है।

राज्य योजना मद:-

- (iv) मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-101-पंचायती राज विभाग उप शीर्ष-0108-पंचायत सरकार भवनों का निर्माण (पंचायती राज विभाग)। विषय शीर्ष 5301-मुख्य निर्माण इकाई। विपत्र कोड 16-4515001010108 है।
- (v) षष्ठम राज्य वित्त आयोग से वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹815.305 करोड़, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 950.500 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 897.00 करोड़ बजटीय उपबंध होनी है। राज्य योजना मद में 340 करोड़ की राशि बजटीय उपबंध है। राज्य वित्त आयोग से राशि की अनुशंसा प्राप्त होते हीं अलग से उसकी स्वीकृत्यादेश जिलावार लक्ष्यानुसार निर्गत किया जायेगा।
9. योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार (मंत्रिपरिषद) का अनुमोदन दिनांक 02.05.2023 को संचिका सं0-2प/पं0स0भ0-09-56/2020 के संचिका पृष्ठ-47/टि0 पर मद संख्या 15 के रूप में प्राप्त है।

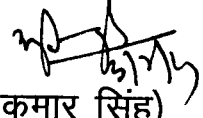
अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन


(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव



ज्ञापांक:-2प/पं०स०भ०-09-56/2020/488/पटना,दिनांक...03/05/2023
प्रतिलिपि : महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।


(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:-2प/पं०स०भ०-09-56/2020/488/पटना,दिनांक...03/05/2023
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को
बिहार राज्य पत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 300 (तीन सौ) प्रतियों में पंचायती
राज विभाग, बिहार, पटना को अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।
अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।


(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:-2प/पं०स०भ०-09-56/2020/488/पटना,दिनांक...03/05/2023
प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार/सभी विभाग
एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप
विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सचिव, राज्य
निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायती राज/
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी प्राचार्य जिला पंचायत राज प्रशिक्षण
संस्थान/सभी प्राचार्य मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/ सभी मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी, नगर निगम/ सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/सभी
प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति
तथा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत को बिहार को सूचना एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

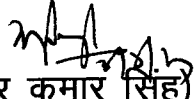
अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।


(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:-2प/पं०स०भ०-09-56/2020/4881/पटना,दिनांक.03/05/2023

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

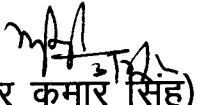
अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।


(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:-2प/पं०स०भ०-09-56/2020/4881/पटना,दिनांक.03/05/2023

प्रतिलिपि : सभी प्रभारी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।


(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:-2प/पं०स०भ०-09-56/2020/4881/पटना,दिनांक.03/05/2023

प्रतिलिपि : आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।


(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव



पंचायती राज विभाग
पंचायत सरकार भवन

अनुलग्नक-1

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रखंडों की संख्या	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2022-23 में पंचायत सरकार भवन का लक्ष्य ग्राम पंचायतों की संख्या का 75%	कुल निर्मित पंचायत सरकार भवनों की संख्या	निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों की संख्या	जिला द्वारा अबतक चिह्नित की गई पंचायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Araria	9	211	158	29	11	53
2	Arwal	5	64	48	16	3	31
3	Aurangabad	11	202	152	58	23	39
4	Banka	11	182	137	29	23	27
5	Begusarai	18	217	163	26	13	60
6	Bhagalpur	16	238	179	37	25	84
7	Bhojpur	14	226	170	52	21	33
8	Buxar	11	136	103	16	17	50
9	Darbhanga	18	309	232	62	28	72
10	Gaya	24	320	240	85	53	62
11	Gopalganj	14	230	173	37	24	86
12	Jamui	10	152	114	26	26	50
13	Jehanabad	7	88	66	17	8	32
14	Kaimur	11	146	110	29	15	42
15	Katihar	16	231	173	34	31	41
16	Khagaria	7	113	85	19	14	47
17	Kishanganj	7	125	94	22	15	47
18	Lakhisarai	7	76	57	13	2	27
19	Madhepura	13	160	120	61	16	62
20	Madhubani	21	388	291	76	3	107
21	Munger	9	96	72	12	9	51
22	Muzaffarpur	16	373	280	58	37	30
23	Nalanda	20	231	173	76	29	50
24	Nawada	14	182	137	30	28	20
25	Paschim Champaran	17	303	227	37	18	53
26	Patna	23	309	232	51	16	31
27	Purnia	14	230	173	31	30	81
28	Purvi Champaran	27	396	297	67	50	105
29	Rohtas	19	229	172	65	41	65
30	Saharsa	10	135	101	28	33	28
31	Samastipur	20	346	260	87	23	88
32	Saran	20	318	239	43	34	64
33	Sheikhpura	6	49	37	9	6	19
34	Sheohar	5	53	40	7	3	6
35	Sitamarhi	17	258	194	29	31	65
36	Siwan	19	283	212	41	35	39
37	Supaul	11	174	131	33	24	74
38	Vaishali	16	278	209	43	7	79
Total		533	8057	6051	1491	825	2000

पत्रांक सं०-2प०/प०स०भ०-09-39/2020 (खंड)/...8354.../प०रा०

**बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग**

प्रेषक,

मिहिर कुमार सिंह, मा०प्र०से०
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 30/8/2022

विषय: पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि चयन करने के संबंध में।

प्रसंग: विभागीय पत्रांक-5637 दिनांक 20.06.2022 एवं पत्रांक-7845 दिनांक 12.08.222

महाशय,

जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन बनाने की योजना है। उसी क्रम में अबतक 3200 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रदत्त है। इस वित्तीय वर्ष में 2300 पंचायत सरकार भवनों तथा अगले वित्तीय वर्ष में अवशेष 2561 पंचायत सरकार भवनों को शुरू करने की योजना है। अतः यह जरूरी है कि सभी अवशेष पंचायत सरकार भवनों के लिए एक ही बार में भूमि का चयन पूर्ण कर लिया जाए। पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु भूमि चयन के संबंध में विभाग द्वारा समय-समय पर सभी जिलों को दिशा निर्देश निर्गत है। इन सभी निर्देशों का संकलन कर भूमि चयन के संबंध में समुचित मार्गनिर्देश निर्गत किये जा रहे हैं।

2. भूमि का चयन:

- (i) राज्य के ऐसी पंचायतों में जहाँ पंचायत सरकार भवन नहीं है, उसके लिए भूमि चयन करने की जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी की है। जिला पदाधिकारी जिला के लक्ष्यानुसार पंचायत सरकार विहीन पंचायतों में उपयुक्त भूमि उपलब्धता के आधार पर पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु ग्राम पंचायत का चयन



करेंगे तथा नियमानुसार ससमय पंचायत सरकार भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करेंगे। जिलावार लक्ष्य अनुलग्नक-1 पर संलग्न है।

- (ii) पंचायत सरकार भवन के लिए न्यूनतम 50 डिसमिल भूमि की आवश्यकता है। जिला पदाधिकारी, पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए पंचायत सरकार भवन विहीन पंचायतों में दो सप्ताह का समय देकर जमीन उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। पंचायत निर्धारित तिथि के अन्दर जमीन उपलब्ध कराने के संबंध में निम्न विवरणी अंचलाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे।

क. खतियान की प्रति।

ख. जमीन की किस्म(आम/खास/रैयती)

ग. यदि जमीन कि किस्म गैरमजरूआ (आम) है तो पंचायत सरकार भवन के उपयोग के लिए पंचायत की बैठक की कार्यवाही।

घ. जमीन पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए उपयुक्त है इससे संबंधित अंचलाधिकारी का पत्र।

ङ. यदि रैयती जमीन दान में दी गयी है तो राज्यपाल के नाम निबंधित दस्तावेज की प्रति।

- (iii) पंचायत सरकार भवन सामान्यतः ग्राम पंचायत के मुख्यालय गाँव में ही बनाया जाएगा। सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों का निर्माण सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायत मुख्यालय में भूमि अनुपलब्ध होने की स्थिति में ग्राम पंचायत क्षेत्र के किसी अन्य गाँव में उपयुक्त भूमि का चयन पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा किया जा सकेगा, जिसके लिए विभागीय पत्रांक-7593 दिनांक 26.11.2019 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत है।



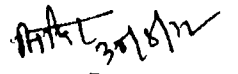
- (iv) ग्राम पंचायत के मुख्यालय गाँव में भूमि अनुपलब्ध होने पर यदि एक से अधिक अन्य गाँव में भूमि मिलती है तो अधिक जनसंख्या वाले राजस्व ग्राम को प्राथमिकता दी जायेगी। जनसंख्या समान होने की स्थिति में अनुसूचित जाति के जनसंख्या का प्रतिशत चयन का आधार होगा। जिस ग्राम में अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत अधिक होगी, उसका चयन किया जाये।
- (v) पंचायत सरकार भवन यथासंभव सरकारी गैरमजरूआ आम/ गैरमजरूआ मालिक भूमि पर बनाया जायेगा, जिसका किस्म जमीन पोखर, तालाब, रास्ता, सड़क, भिन्ड, पिन्ड, आहर, पर्ईन, नाहर, नाला, जंगल आदि न हो। यदि जमीन की किस्म गैरमजरूआ (आम) है तो पंचायत सरकार भवन में उसके उपयोग हेतु आम सभा की बैठक में प्रस्ताव पारित कर कार्यवाही की प्रति जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके आधार पर जमीन का चयन की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। आम जमीन की अनुपलब्धता/अनुपयुक्तता की स्थिति में गैरमजरूआ खास जमीन का चयन राजस्व विभाग द्वारा दिए निर्देशों के आलोक में किया जाएगा।
- (vi) सरकारी/सार्वजनिक भूमि उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में ऐसी भूमि बिहार राज्यपाल के नाम से निबंधित कर दानस्वरूप दी जा सकती है, जो विवादग्रस्त नहीं हो, जल-जमाव से मुक्त हो, दाता का उस भू-खण्ड पर स्वामित्व एवं दखल स्थापित हो तथा ऐसी जगह पर हो जहाँ गाँव के सभी वर्ग के लोग निर्भय होकर आ-जा सकें।
- (vii) भूमि पंचायत सरकार भवन बनाने हेतु उपयुक्त है, इस आशय का प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा। अंचलाधिकारी एवं पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर भूमि का सत्यापन कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन जिला पंचायत राज पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। जिला के अंतर्गत पंचायत सरकार भवनों के निर्माण



हेतु उपलब्ध भूमि का अंतिम चयन संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

अतएव अनुरोध है कि पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु अपने जिले के लक्ष्य के अनुरूप ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि चयनित करने एवं चिन्हित भूमि का Longitude एवं Latitude <http://epms.bgsys.co.im/> पर यथाशीघ्र अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाये। साथ ही, संलग्न विहित प्रपत्र में विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाये।

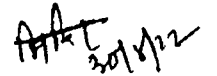
विश्वासभाजन


(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक-240/प0स0भ0-09-39/2020 (खंड)/8354/पं0रा0 पटना, दिनांक 30/8/2022

प्रतिलिपि:- सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से पहल कर पंचायत सरकार भवन का निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर अपलोड कराने एवं सूची उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जाये।




(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

पंचायत सरकार मयन के निर्माण कार्य हेतु स्थल खनन हेतु संबंधित प्रतिवेदन-

1:\karyadajak\karyajak new page sheet 2021